फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि. बनाम सरकार व शौकत मंसूरी

केस संख्या 875 /2023 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21-11-2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता एवं विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी ए यू स्माल फाईनेन्स बैं लि. के अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में जब्त लोडिंग टैम्पों आर जे 09 जी सी 9861 को शौकत मंसूरी द्वारा हाईपोथीकेटेड कर बैंक से 4,40,000/– रूपये का ऋण लिया गया था। शौकत मंसूरी द्वारा अनुबन्ध शर्तो को भंग किया गया है और अब 5,15,140.52 रूपये बैंक के बकाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायाय ने एआईआर 2003 एससी (638) मे विनियश्च किया गया है कि वाहन किसी भी परस्थिति में खडे खडे खराब होने के लिए नहीं छोडना चाहिये और वाहन की सुपुर्दगी 15 दिवस में कर देनी चाहिये व किसी प्रकार के प्रकरण में वाहन की 6 माह में विक्रय कर देना चाहिये ताकि वाहन का उचित मूल्यांकन मिल सके । अतः वाहन की अन्तिम अभिरक्षा व बेचान किये जाने का आदेश फरमावे। विभागीय पैरोकार का कथन है कि थानाधिकारी पुलिस थाना नरेना जिला जयपुर ग्रामीण की एफआईआर संख्या 19/2023 ब सिलसिले राजस्थान गो वशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 19.01.2023 को सूचना मिलने पर करीब 7.43. पीएम पर ग्राम साखून ग्राम में एक लोडिंग टैम्पों आरजे 09जीसी 9861 खड़ा मिला जिसमें गाय के चार बछडे ठूंस ठूंस कर भरे हुये मिले । राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 6 (क) मे अभिग्रहित वाहन एवं धारा 7 में अभिग्रहित गोवंशीय पशु एवं वाहन की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। अप्रार्थीगण द्वारा टैम्पों में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक कूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	